न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 544/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गफूर पुत्र अलूखां जाति-तेली मुसलमान, निवासी-आ.कालू, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. फरीद खां पुत्र हकीम 2. रूकमा बेवा जवरू जातिमान-तेली मुसलमान, निवासीगण-आ.कालू, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) 3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी,तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.24/10/2016

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी अधि0प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 11/09/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-आ.कालू-प्रथम, पटवार हल्का-आ.कालू प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक आ.कालू, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 की पैतृक व पुश्तैनी सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1945 रकबा 05-15 बीघा, खसरा नम्बर 1996 रकबा 08-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कुल रकबा 14-04 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि का मौका पर चुन्दरी बंट पीढियों से हो रखा है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पैतृक एवं पुश्तैनी आराजी है तथा पीढियों से मौके पर बटी हुई है लेकिन मौके पर कानूनी रूप से बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। तथा वादी का उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में वर्तमान में 1/3 वां हिस्सा चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 वां हिस्सा माफिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। इस आराजी को वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उक्त आराजी की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेश व जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संवत् 2069 से 2072 की वाद पत्र के साथ संलग्न है जो वाद पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्यगण है। वादी का प्रतिवादी संख्या 1 सगा भतीज है तथा प्रतिवादिया संख्या 2 छोटे भाई स्व. जवरू की पत्नी है। अलूखां के विधिक वारिसान उतराधिकारीगण है। जवरू खां फौत होने के बाद सभी पुत्रगण व पुत्री ने मिलकर अपनी माता रूकमा बेवा जवरू के नाम हकत्याग कर दिया है। वादी के कोई जायन्दा संतान नहीं है। वादी की पत्नी भी नहीं है। वाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बर 1945 रकबा 05-15 बीघा, खसरा नम्बर 1996 रकबा 08-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कुल रकबा 14-04 बीघा कृषि भूमि आई हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 वां हिस्सा माफिक काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त है तथा शांति पूर्वक वादी व प्रतिवादीगण बिना किसी रोक टोक के उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त आराजी की कृषि भूमि मौके पर पूर्वजों के समय से बंटी हुई है तथा मौके पर मांठे कायम की गई है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 का 02 को उक्त आराजी का बंटवाड़ा करवाने बाबत् कहा तो सभी प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करवाने से इंकार कर दिया तथा मौका पर

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खेत को हम बोयेंगें, तू बुढा हो गया है तथा तेरे जायन्दा संतान भी नहीं है। इसलिए तुझे उक्त आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर काश्त करेंगें। वादी को तारामिरा की फसल भी नहीं बोने दे रहे तथा विवाद करने पर आमादा हो गये जबकि वादी 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। उक्त विवादित भूमि की प्रत्येक इंच हिस्से व भू भाग पर वादी का 1/3 वां हक व हिस्सा व अधिकार प्राप्त है मौके पर वादी का कब्जा काश्त भी है। इसलिए वादी को सम्पूर्ण आराजी में 1/3 वां हिस्से से प्रतिवादीगण उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। उक्त भूमि रास्ते के नजदीक होने से वर्तमान में बहुमूल्य एवं कीमती भूमि है। प्रतिवादीगण मौके पर अपने हिस्से से अधिक जमीन पर कब्जा करने पर आमादा है तथा वादी को उसके हक हिस्से की जमीन पर कब्जा कर बेदखल करने पर आमादा है इस कीमती भूमि के विशिष्ट भू भाग को प्रतिवादीगण ने संयुक्त व खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा कराये बिना ही अपने हक हिस्से की भूमि विशिष्ट भू भाग में होना बताकर के प्रतिवादीगण संयुक्त व सामलाती भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा कराये बिना इस भूमि के विशिष्ट भू भाग पर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा नही कर सकते है। वादी ने अपनी संयुक्त एवं सामलाती भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया लेकिन दिनांक 15/10/2016 को प्रतिवादीगण ने इस संयुक्त व सामलाती भूमि का बंटवाड़ा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा जबरदस्ती अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो गये तथा वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी, जिप्सम आदि डालकर उसको उपजाऊ बनाकर उस पर वर्तमान में तारामिरा की फसल बुआई कर काश्त करना चाहता है। जिसमें प्रतिवादीगण बाधा व अड़चन पैदा कर रहे है वादी को अपने हक हिस्से की भूमि बैंक से साख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाना आवश्यक है लेकिन प्रतिवादीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करने को लेकर के वाद विवाद भी करने पर वादी के पास इन विषम परिस्थितियों में यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त एवं सामलाती है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कोई बंटवाड़ा नही हुआ है प्रतिवादीगण ने इस संयुक्त एवं सामलाती पैतृक पुश्तैनी आराजी का बंटवाड़ा करवाये बिना ही अपना हक हिस्से की भूमि से ज्यादा भूमि पर अपना अधिकार जताते हुए कब्जा हेतु विवाद उत्पन्न करेंगे। जिससे विवाद होगा तब वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की भूमि में कब्जा हरगिज नही करने देगा तथा वादी विरोध करेगा तब और विवाद बढेगा। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि संयुक्त व सामलाती भूमि का बंटवाड़ा करवाये बिना एक सह हिस्सेदार को संयुक्त भूमि के विशिष्ट भू भाग पर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने व बेचान व अन्य हस्तान्तरण करने का किसी प्रकार का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण नही मान रहे है एवं यदि प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो जाते है तो वादी अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगा। जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिंग्स होगी तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है। जो बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। जिनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। परन्तु वादी का वाद पत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कर यह वाद पत्र अनुमति लेकर के श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तथा अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. का अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। बिनाय वाद दिनांक 15/10/2016 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाने से स्पष्ट इंकार करने व कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने पर बमुकाम आ.कालू प्रथम, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में उत्पन्न होता है। जो अंदर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुये। प्रतिवादी सं. एक की ओर से वकालत नाम पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या दो को बावजुद तामिली/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र आनन्दपुर कालू पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मजमा-ए-आम में ही प्रतिवादी संख्या एक ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त अनमान के विचाराधीन वाद में हमारी पैतृक व पुश्तैनी सामलाति खातेदारी कृषि भूमि का मौके पर काबिज अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाये जाये तो में सहमत हूँ। प्रार्थना पत्र सा.मि. किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। उभय पक्षकारान् अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकार्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-आ.कालू-प्रथम, पटवार हल्का-आ.कालू प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक आ.कालू, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 की पैतृक व पुश्तैनी सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1945 रकबा 05-15 बीघा, खसरा नम्बर 1996 रकबा 08-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कुल रकबा 14-04 बीघा की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/790 दिनांक 28/08/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/4245 दिनांक 19/07/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व सरहद मौजा-आ.कालू-प्रथम, पटवार हल्का-आ.कालू प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक आ.कालू, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 की पैतृक व पुश्तैनी सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1945

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

रकबा 05-15 बीघा, खसरा नम्बर 1996 रकबा 08-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कुल रकबा 14-04 बीघा की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	गफुर खां पुत्र अयूब खां कौम तेली सा. देह खातेदार	1996/1 1945/1	3-14-00 1-00-00	बा.अ. बा.अ.	2.91
2	फरीद खां वल्द हकीम कौम तेली सा. देह खातेदार	1996	4-15-00	बा.अ.	2.94
3	रूकमा पत्नी जवरू 1/3 हिस्सा हमीदा बानो पत्नी रफीक मो. 2/3 हिस्सा कौम तेली सा. देह खातेदार	1945	4-15-00	बा.अ.	2.94

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंट्वाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली
(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 11/09/2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली
(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner